संचिका सं0–07/बजट–46–01/2022 – 101 (7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

पटना, दिनांक–02/03/2026

विषय:– **राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुंगेर के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त मॉडल प्राक्कलन के आधार पर रु0 603.68 करोड़ (रुपये छः सौ तीन करोड़ अरसठ लाख) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2025–26 में भारत सरकार के "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26 Under Part-I" अतंर्गत द्वितीय किस्त के रूप में विमुक्त राशि के विरूद्ध अवशेष राशि रु0 10,00,00,000/– (रुपये दस करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबध मे कहना है कि राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुंगेर मे 150 नामाकन क्षमता के साथ 630 बेड के अस्पताल के भवन निर्माण हेतु प्रति चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल रू० 603.68 करोड (रुपये छः सौ तीन करोड अरसठ लाख) मात्र के तकनीकी अनुमोदन प्राप्त मॉडल प्राक्कलन (प्रारंभिक परियोजना प्रस्ताव) के आधार पर विभागीय राज्यादेश संख्या–11(7), दिनांक–21.04.2022 द्वारा स्वीकृति दी गयी है।

2– विदित हो कि उक्त योजनान्तर्गत भवन निर्माण हेतु भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्रांक– F.No.44(1)/PF-S/2025-26(CAPEX) Bihar, दिनांक–22 07.2025, पत्रांक–F No.44(1)/PF-S/2025-26(CAPEX)-Bihar-SACE-19 एव वित्त विभाग के पत्राक–580/वि0, दिनांक–30.07.2025 के द्वारा निर्माण का कार्य करने हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025–26 Under Part-I" अतर्गत रु0 25.00 करोड की राशि इस परियोजना हेतु स्वीकृत की गयी। विभागीय स्वीकृत्यादेश स०–272(7), दिनांक–02.09 2025 द्वारा उक्त स्वीकृत राशि रू० 25.00 करोड के विरूद्ध रू० 15.00 करोड मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जा चुकी है।

3– पुन. भारत सरकार, वित्त मत्रालय के पत्रांक– F No 44(1)/PF-S/2025-26(CAPEX)-Bihar-SACE-78, दिनाक–31 12.2025 एवं वित्त विभाग के पत्रांक–1049/वि0, दिनांक–31 12.2025 द्वारा इस परियोजना हेतु "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26 Under Part-I" अतर्गत द्वितीय किस्त के रूप मे राशि विमुक्त की गयी है।

4– इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरूपेण है–

क्र० स०	वित्तीय वर्ष	राशि (रू० मे)	व्ययादेश/आवटनादेश स० एव दिनाक
1	2024–25	20,00,00,000	स०–178(7), दिनाक– 17 09 2024
2	2024–25	25,00,00,000	स०–405 (7), दिनाक– 30 01 2025
3	2024–25	10,00,00,000	स०–496 (7), दिनाक– 10 03 2025
4	2024–25	25,00,00,000	स०–538 (7), दिनाक– 20 03 2025
5	2025–26	15,00,00,000	स०–272 (7), दिनाक– 02 09 2025
6	2025–26	10,00,00,000	स०–349 (7), दिनाक– 06 10 2025
7	2025–26	7,00,00,000	स०–445 (7), दिनाक– 15 12 2025
8	2025–26	25,00,00,000	स०–88(7A), दिनाक–17 02 2026
	कुल–	**1,37,00,00,000**	

5— अतएव राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुंगेर के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त मॉडल प्राक्कलन के आधार पर रु0 603.68 करोड (रुपये छः सौ तीन करोड अरसठ लाख) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2025–26 मे भारत सरकार के "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26 Under Part-I" अतंर्गत द्वितीय किस्त के रूप में विमुक्त राशि के विरूद्ध अवशेष राशि रु0 10,00,00,000/— (रुपये दस करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6—उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा विभागीय राज्यादेश संख्या—11(7), दिनांक—21 04.2022 में निहित शर्त्तों के अधिन किया जायेगा ।

7— इस राशि के व्यय का वहन मांग संख्या—20, मुख्य शीर्ष-4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय—03—चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—050—भूमि— 0103—नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल संस्थान हेतु, विपत्र कोड—20—4210030500103 अन्तर्गत विषय शीर्ष 53—मुख्य निर्माण कार्य के 0103—53—01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में उपबंधित/तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

8— इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

9— वित्त विभागीय पत्र सख्या—632/वि०, दिनांक—04.07 2023 के क्रम में निर्गत वित्त विभागीय पत्र संख्या—10792/वि०, दिनांक—06.12.2023 के क्रम मे "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26" के लिए पूंजीगत परियोजनाओं से संबंधित चालू योजनाओं के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता मे हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को सबंधित बैंक खाते में हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म—46 मे तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी0एल0 एकाउन्ट स0—PBBPLA007 विपत्र कोड—00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID मे जमा करेगे, जिसे कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता मे हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबधित बैंक खाते में हस्तान्तरित कर दिशा—निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेंगे।

10— वित्त विभागीय पत्रांक—432/वि०, दिनांक—29.03.2023 एवं पत्राक—1049/वि0, दिनाक—31.12.2025 के आलोक में ससमय उपयोगिता प्रमाण—पत्र GFR 12B मे विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र मे तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।

11— यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या—2561/वि0(2), दिनांक—17.04.98, 2880/वि0(2), दिनाक—06 05.06 एव 2938/वि0(2), दिनांक—08.04.08, 2199/वि0, दिनांक—24.03 2017 एवं 3758/वि0, दिनांक—31.05.2017, 7111/वि०(2), दिनांक—28.07.2022 एवं 12888/वि0, दिनाक— 03.12.2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

12— इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

13— प्रस्ताव एव प्रारूप पर माननीय मत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

14— प्रारूप मे आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या—07/बजट—46—01/2022 के पृष्ठ— .../टि0 में प्राप्त है।

15— यह मात्र स्वीकृत्यादेश है। आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–07/बजट–46–01/2022 – 101 (7A) /स्वा0, पटना, दिनांक–02/03/2026

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, मुंगेर/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–7/लेखा शाखा (दो प्रतियो में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित सभी को ई–मेल करने के निदेश के साथ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।